2024/63

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री नारायण सिंह सोलंकी निवासी राजपूत वास झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 13 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.04.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 05.02.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि किसी ग्राम पंचायत के सार्वजनिक विकास कार्य जैसे सडक एवं नाली निर्माण की अनियमितता की शिकायत के जवाब में यदि ग्राम विकास अधिकारी बिना जांच किए बार–बार लिखित में झूठी रिपोर्ट पेश करके शिकायत को बन्द करवाता है तो उस सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कहां शिकायत की जाएगी एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी। उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 05.02.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि किसी ग्राम पंचायत के सार्वजनिक विकास कार्य जैसे सडक एवं नाली निर्माण की अनियमितता की शिकायत के जवाब में यदि ग्राम विकास अधिकारी बिना जांच किए बार–बार लिखित में झूठी रिपोर्ट पेश करके शिकायत को बन्द करवाता है तो उस सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कहां शिकायत की जाएगी एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी। उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2024.05.28 16:52:38 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner